प्रेस नोट

दिनांक 14.10.2025

थाना बिवांर पुलिस द्वारा लूट की घटना का खुलासा , 03 वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस व लूट की सम्पत्ति/ माल सहित गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन अपराध नियंत्रण व वांछित वांरण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिवांर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 195/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों को बिवांर-मौदहा मार्ग पर बिवांर से जाते समय निर्माणाधीन पुलिया के पास से मुखबिर की सूचना पर लूटा गया एक मोबाइल व 530/- रुपये व अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

ज्ञातव्य है कि थाना बिवांर क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 09.10.2025 की रात्रि में हुई लूट की घटना पर वादी मुकदमा हर्षित तिवारी पुत्र पुष्पेन्द्र कुमार तिवारी ग्राम उमरी थाना बिवाँर जनपद हमीरपुर से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 195/2025 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्तगणों के पास से बरामद हुए मोबाइल, रुपये आदी के सम्बन्ध में पूछने पर उनके द्वारा दिनांक 09.10.2025 को वादी उपरोक्त के साथ लूठ की घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अजयपाल पुत्र वीर (उम्र करीब 20 वर्ष) निवासी ग्राम बरहरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।
2.सनी पुत्र छत्रपाल अहिरवार (उम्र करीब 20 वर्ष) नि0 ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।
3.दीपक उर्फ कुलदीप पुत्र लालदीवान (उम्र करीब 19 वर्ष) निवासी ग्राम बिलगांव थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण:

1. एक अदद एन्ड्राइड मोबाइल MOTO
2. एक अदद तमंचा 315 बोर
3. 2 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. लूट के 530/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. नन्दराम प्रजापति प्रभारी निरीक्षक थाना बिवांर
2. उ0नि0 अंकित कुमार थाना बिवांर
3. कां0 राजेश कुमार यादव थाना बिवांर
4. कां0 हरिनन्दन सिंह थाना बिवांर
5. कां0 छोटेलाल थाना बिवांर